वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, **उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी के द्वारा ग्राम तिलई डबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु** 255.300 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित आरक्षित 255.300 हे. का **स्थल निरीक्षण दिनांक 14.07.2020 को** किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र से विस्थापन हेतु प्रस्तावित 03 गॉव क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी तथा छिरहट्टा का व्यवस्थापन मुंगेली वनमण्डल के आरक्षित वनों में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के अनुक्रम में दिनांक 14.07.2020 को स्थापित किये जाने वाली वनभूमि का निरीक्षण किया गया है जो निम्नानुसार है –

कक्ष क्रमांक 558 भरतपुर रकबा 119.389 हे.

कक्ष क्रमांक 557 भरतपुर रकबा 9.411 हे.

कक्ष क्रमांक 96 सांवतपुर रकबा 126.500 हे.

कुल – 255.300 हे.

उपरोक्त तीनों कक्ष वनपरिक्षेत्र लोरमी परिसर भरतपुर एवं सांवतपुर के अंतर्गत आते है। कक्ष क्रमांक आर. एफ.558 एवं आर.एफ. 557 कन्हैया नाला से उत्तर की ओर तथा अचानकमार की सीमा से लगा हुआ है, यह क्षेत्र लगभग समतल वनभूमि है। इसमें पूर्व से स्थापित 08 से 10 मीटर अंतराल के कटंग बांस का लगभग 50 हे. रोपण है। क्षेत्र की वन सघनता 0.4 से कम है तथा मुख्य रूप से मुण्डी, भिर्रा, धोबन, महुआ इत्यादि के पेड़ है, झाड़ी के रूप में कुर्रू, पलाश, तेन्दु इत्यादि पाया गया है। स्थल के नजदीक भारतसागर बांध भी है। कक्ष क्रमांक आर.एफ. 96 के 126.500 हे. में प्रमुख प्रजातियों में कुसुम, मोयन, हल्दू, मुण्डी इत्यादि पाई गई है साथ ही अण्डर स्टोरी में कर्रा बहुतायत में है। क्षेत्र की वन सघनता 0.4 से कम है क्षेत्र 2^0 से 3^0 हल्का ढालान वाला है नजदीक पर ही सांवतपुर बांध स्थित है। अतः निरीक्षण में 03 कक्षों का 255.300 हे. क्षेत्रफल ग्राम बसाहट हेतु उपयुक्त पाया गया है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के गाईडलाईन F No. 3-1/2003-PT (Relocation) Feb-2008 में दिये गये निर्देश कि "टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को मानव विहीन क्षेत्र रखने" के संबंध में अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से प्रथम चरण में 2009–10,

2010.11 में 06 ग्राम बांकल, बहाउड़, बोकराकछार, सांभरधसान, जल्दा एवं कूबा का व्यवस्थापन किया गया है, वर्तमान में कोर क्षेत्र में 19 ग्राम व्यवस्थापन हेतु शेष है। टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन किये जाने के उपरांत कोर क्षेत्र में मानवीय व्यवधान नहीं होगा, वन्यप्राणी वनक्षेत्र में स्वछंद उन्मुक्त विचरण करेंगे। व्यवस्थापन से रिक्त हुए वनक्षेत्र में घास के मैदान विकसित किये जायेंगे, जो शाकाहारी वन्यजीवों के लिये पौष्टिक भोजन के साधन उपलब्ध होंगे, शाकाहारी वन्यजीवों को आसानी से भयमुक्त भोजन उपलब्ध होने पर मांशाहारी वन्यजीवों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

इस प्रकार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित शेष 19 ग्रामों के व्यवस्थापन किये जाने के उपरांत कोर क्षेत्र से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त होगा, घास के मैदान में विस्तार होगा जिसस शाकाहारी एवं मांशाहारी वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि होगी। अत प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित है।

(अनिल सोनी) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर